

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद

संख्या... 51



वर्ष 20 22



विविधवाद / प्रथम अपील



बनाम

अपीलकर्ता पाई निरण कुशी एवं अन्ज,
 2110-शमशोसी, पं०-नीमडीह,
 30-लेन्ले, पण्डितमूर।
 प्रतिवादी विजया आपूर्ति पदा०, पण्डितमूर।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	<p>अपीलकर्ता पाई किरण सुन्डी एवं अन्य, ग्राम-रामपोसी, पंचायत-नीमडीह, प्रखण्ड-टोन्टो, जिला-पश्चिमी सिंहभूम का अपीलआवेदन आयोग को प्राप्त हुआ है। प्राप्त अपीलआवेदन में परिवादी द्वारा निम्न शिकायतें की गयी हैं:-</p> <ol style="list-style-type: none">1. माह फरवरी, मार्च एवं अप्रैल, 2022 में प्रत्येक कार्ड में प्रतिमाह 3-5 कि०ग्रा० राशन कटौती कर दिया जाता है।2. ई-पॉश मशीन में अंगुठा लगवाकर राशन नहीं दिया जाता है। <p>शिकायतकर्ताओं का यह भी आरोप है कि उक्त मामले में दिनांक-06.06.2022 को DGRO, चाईबासा के समक्ष शिकायत दर्ज की गई थी। किन्तु DGRO द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी। उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए आयोग द्वारा इसपर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है।</p> <p>प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को प्रतिवादी बनाया जाय।</p> <p>इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक-02.12.2022 को निर्धारित की जाती है। उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।</p> <p>दिनांक-02.12.2022 अपराह्न 12:00 बजे रखें।</p> <p style="text-align: center;"> (शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p> <p style="text-align: center;"> (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p>	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
02.12.2022	<p style="text-align: center;">वाद संख्या-61 / 2022</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से मात्र सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम उपस्थित। DSO, पश्चिमी सिंहभूम अनुपस्थित। आज की सुनवाई डिजिटल माध्यम से की गई।</p> <p>आज की सुनवाई में उपस्थित सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, श्री फिलिप्स आनंद कुमार एक्का का कहना है कि सुनवाई के दिन अचानक जिला आपूर्ति पदाधिकारी के घर कुछ पारिवारिक कारणों से वे छुट्टी पर चले गये। आयोग सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को निर्देश देता है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा छुट्टी पर जाने से सम्बन्धित आवेदन की प्रति आयोग को भेजें।</p> <p>सुनवाई के दौरान सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत वापस ले ली है और इस आशय की लिखित जानकारी शिकायतकर्ता द्वारा दी गई है। आयोग सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को निर्देश देता है कि शिकायतकर्ता द्वारा लिखित रूप में शिकायत वापस लेने की लिखित प्रमाण आयोग को उपलब्ध कराया जाय। आयोग इस आशय का भी निर्देश देता है कि आयोग को इस आशय का प्रतिवेदन समर्पित किया जाय कि शिकायतकर्ता को शिकायत से कितने दिन पूर्व राशन नहीं मिला अथवा कम मिला। जितने दिनों तक राशन नहीं मिला अथवा कम मिला, इस अवधि का सवा गुणा अनाज मुआवजा के रूप में उपलब्ध कराना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 का प्रावधान है, इसका प्रमाण भी आयोग को उपलब्ध कराया जाय।</p> <p>DSO, पश्चिमी सिंहभूम सूचना दिये जाने के बाद भी निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहने का लिखित कारण अगली तिथि से पूर्व उपलब्ध कराये। आदेश की प्रति सभी संबंधितों को अनुपालनार्थ भेजें।</p> <p style="text-align: center;">अभिलेख दिनांक-28.12.2022 को उपस्थापित करें।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। </div> <div style="text-align: center;">  (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। </div> </div>	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
28.12.2022	<p style="text-align: center;">वाद संख्या-61/2022</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम उपस्थित। आज की सुनवाई डिजिटल माध्यम से की गई।</p> <p>आयोग के पिछले आदेश के अनुपालन का प्रमाण आयोग के अभिलेख में उपलब्ध है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, जो सुनवाई में उपस्थित हैं, उन्हें निर्देश देता है कि भविष्य में किसी शिकायत का मात्र निदान कर देना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अनुकूल नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि लाभुकों को समय पर अनाज उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो जितने दिनों के बाद उन्हें पुनः अनाज उपलब्ध कराया गया, इस काल-खण्ड के दौरान का अनाज का सवा गुणा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम का कहना है कि इस वाद में आयोग के इस आशय का अनुपालन कर दिया गया है।</p> <p>आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि भविष्य में भी इस बात को सुनिश्चित करें कि शिकायत दूर करने के साथ-साथ शिकायतकर्ता को खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में सवा गुणा अनाज उपलब्ध कराया जाय। आयोग के पिछले निर्देश का प्रमाण उपलब्ध करा दिये जाने के पश्चात् इस वाद को निष्पादित किया जाता है।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"><div style="text-align: center;"><p>(शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p></div><div style="text-align: center;"><p>(हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p></div></div>	